

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 25 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर-शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 25.05.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तहत छठे चरण के लिए आठ (08) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (वाल्मीकिनगर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज-अ0जा0, सिवान तथा महाराजगंज) में शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हुआ।

इस संदर्भ में विदित हो कि आगामी 01 जून 2024 की तिथि में सातवें तथा अंतिम चरण में पड़ने वाले आठ (08) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित एक (01) विधान सभा उपचुनाव (अगिऑव-अ0जा0) के लिए निर्वाचन की तिथि नियत है। तदनुसार सातवें चरण में दिनांक 01 जून को नालंदा, पटना सहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम-अ0जा0, काराकाट तथा जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित अगिऑव-अ0जा0 में चुनाव की तैयारियाँ पूरी की जा रही है।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में ग्यारह (11) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं-पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत दो (02), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत छः (06) एवं सहरसा जिलांतर्गत तीन (03)। इस संदर्भ में ग्यारह (11) एफआईआर दर्ज हैं। निर्वाचक को प्रलोभन पहुँचाने के संदर्भ में बक्सर जिलांतर्गत एक (01), मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत एक (01) मामलें प्रतिवेदित हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 24.05.2024 को कुल ₹35.96000(लाख) रुपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर-17171.16(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹39.77095(लाख) रुपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹71.44880(लाख) रुपये मूल्य के 151770.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹18.32084(लाख) रुपये मूल्य की 42419.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹165.50059(लाख) रुपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।